

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

सं०-०१/स्था०-०९-२३/२०२४/...../आ०प्र० पटना-२३, दिनांक-

बिहार सेवा संहिता के नियम-२२७, २३० एवं २४८ में निहित प्रावधान के आलोक में श्री सौरभ सत्यम, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, शेखपुरा को स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक-०१.०७.२०२६ से दिनांक-१५.०७.२०२६ तक कुल १५ (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त श्री सत्यम के पक्ष में कुल ६५-१५=५० (पचास) दिनों की उपार्जित छुट्टी शेष आदेय होगी।

३. श्री सत्यम को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं०-५६३२ दिनांक-२६.०६.२०१५ में निहित शर्तों के अधीन उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

४. इसमें प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-०१/स्था०-०९-२३/२०२४/...../आ०प्र०, पटना-२३, दि०-

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/श्री सौरभ सत्यम, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-०१/स्था०-०९-२३/२०२४/2678/आ०प्र०, पटना-२३, दि०-13-08-26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव